# राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072


## 01.07.2025 से 30.06.2026 तक की अवधि के लिए अनुबन्ध पर कार्मिकों की सेवाओं हेतु ई–बोली

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) द्वारा 01.07.2025 से 30.06.2026 तक की अवधि (अनुबन्ध तिथि से एक वर्ष तक) के लिए अनुबन्ध पर कार्मिकों की सेवाओं हेतु रजिस्टर्ड फर्मों, अनुमोदित सेवाप्रदाताओं से ऑनलाईन ईप्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से सहमति प्रस्ताव के साथ टू बिड्स दिनांक 23.06.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक संलग्न परिशिष्ट (क) के अनुसार आमंत्रित की जाती है। राजस्थान सरकार के पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर BOQ Format में ही अंकित कर प्रस्तुत करनी होंगी। टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) मय मूल प्रपत्र, निविदा शर्तें एवं स्वीकृत दरें राइसेम की वेबसाईट www.ricem.org एवं sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तकनीकी बिड (प्रपत्र–अ) तथा वित्तीय विड प्रपत्र–ब में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर सम्बन्धित दस्तावेजों सहित पूर्णतः भरी हुई PDF Format में अपलोड करनी चाहिए। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

प्राप्त बिड्स के प्रस्तावों में तकनीकी बिड को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष दिनांक 23.06.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता की वित्तीय बिड को ही खोला जायेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार राइसेम को होगा तथा इस संबंध में राइसेम का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड्स प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार है। बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी / बैंकर्स चैक / नकद / किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित है द्वारा राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम), जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी। राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ अपलोड करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि राइसेम में उक्त वर्णित तरीकों से किसी एक द्वारा राइसेम के पक्ष में जमा करानी होगी, इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जायेंगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सफल बोलीदाता को सेवाओं के 5 प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सेवा के मूल्य का नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध करना होगा) अन्य कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उक्त संबंध में संस्था के फोन 0141–2710072 एवं ई–मेलः jaipurricem@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। बोली के सम्बन्ध में अन्य जानकारी राइसेम संस्था में किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष तक होगी। राइसेम को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्नः– बोली प्रपत्र एवं शर्तें।

निदेशक, राइसेम

## (अनुबन्ध पर सेवाओं हेतु आवश्यक कार्मिक एवं शैक्षणिक योग्यता)

## (01-07-2025 से 30-06-2026 तक)

| क्र.सं. | सेवा का नाम | श्रमिकों की श्रेणी | श्रमिकों की संख्या | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | संस्थान में अनुबन्ध पर कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने हेतु | कम्प्यूटर प्रोगामर | 1 | कम्प्यूटर विषय में स्नातक |
| 2. | | कम्प्यूटर ऑपरेटर | 7 | स्नातक एवं आरएससीआईटी /टंकण ज्ञान |
| 3. | | क्लर्क | 1 | स्नातक एवं आरएससीआईटी /टंकण ज्ञान |
| 4. | | लाइब्रेरियन | 1 | स्नातक, आरएससीआईटी एवं पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा /डिग्री |
| 5. | | बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता/ बागवान/ सहायक कर्मचारी | 15 | 8वीं/10वीं पास |
| 6. | | वाहन चालक | 1 | ड्राईविंग लाईसेन्स |
| कुल | | | 26 | |

नोट– अनुबन्ध पर उपलब्ध कार्मिकों का पारिश्रमिक श्रमिक विभाग एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान के नियमानुसार होगा।

# राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10—बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91—0141—2710072


प्रपत्र—'अ'

## राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में अनुबन्ध पर कार्मिक की सेवाऐं (01.07.2025 से 30.06.2026 तक) उपलब्ध कराने के लिये

### :: *तकनीकी ई—बोली प्रपत्र* ::

बोली शुल्क रू. 1000 / — (Non Refundable) (निदेशक, राइसेम) के नाम से देय— डी.डी / आरटीजीएस
प्रोसेसिंग फीस — 1500 / — रूपये (एम.डी., आर.आई.एस.एल, जयपुर) के नाम से देय
बोली प्रतिभूति राशि रूपये 2 लाख / —(निदेशक, राइसेम) के नाम से देय—डी.डी / आरटीजीएस
बोली की अनुमानित राशि : 1 करोड़ रूपये
बोली सबमिशन अंतिम तिथि एवं समय : 23.06.2025 दोपहर 01:00 बजे तक
बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग व टेण्डर फीस
का डी.डी. राइसेम में प्रस्तुत करने की तिथि : 23.06.2025 दोपहर 01:00 बजे तक
तकनीकी बोली खोलने की तिथि व समय : 23.06.2025 अपरान्ह 3:00 बजे तक

| | बोलीदाता का विवरण | |
|---|---|---|
| 1. | बोलीदाता का नाम | |
| 2. | बोलीदाता का स्थानीय पता<br>(मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर) | |
| 3. | बोलीदाता का स्थाई पता (मय टेलीफोन / मोबाईल नम्बर)<br>साक्ष्य के लिए राशन कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / पानी / टेलीफोन / बिजली के बिल की सत्यापित प्रति संलग्न करें) | |
| 4. | बोलीदाता को संविदा कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध कराने का अनुभव अथवा जॉब बेसिस पर ठेके पर कार्य करने का अनुभव<br>(गत तीन वर्षों के अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रति) | |
| 5. | राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होने का प्रमाण—पत्र | |
| 6. | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 रजिस्ट्रेशन संख्या (पंजीकृत होने का प्रमाण—पत्र) | |
| 7. | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 रजिस्ट्रेशन संख्या (पंजीकृत होने का प्रमाण—पत्र) | |
| 8. | वस्तु एवं सेवा कर (GST) रजिस्ट्रेशन संख्या, गत तिमाही का रिटर्न की प्रति (जनवरी, 2025 से मार्च, 2025) | |
| 9. | आयकर (पेन नम्बर) गत वर्ष की रिटर्न की प्रति | |
| 10. | राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958<br>या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत<br>या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत (पंजीकृत होने का प्रमाण—पत्र) | |
| 11. | अन्य प्रमाण पत्र (फोटो प्रति यदि कोई हो) | |
| 12. | वर्ष 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24 तक के वार्षिक लेखो की अंकेक्षित प्रतिलिपि | |
| 13. | वर्ष 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24 तक के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि | |
| 14. | गत एक वर्ष का बैंक स्टेटमेंट दिनांक 31.03.2025 तक का विवरण पत्र | |
| 15. | बोली प्रपत्र हेतु रसीद संख्या एवं दिनांक | रसीद संख्या..................दिनांक............../RTGS |
| 16. | बोली प्रतिभूति राशि रूपये 2,00,000 / — का विवरण | बैंक ड्रापट / बैंक गारण्टी / बैंकर्स चैक संख्या ...................... दिनांक ..................<br>बैंक का नाम .................. राशि ................ |

**नोट :— उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां स्वप्रमाणित कर संलग्न होना अनिवार्य है।**

मैं ..................................................... पुत्र श्री ............................................................. सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त अंकित विवरण एवं संलग्न सभी विवरण सही एवं सत्य है तथा राइसेम की संलग्न सभी शर्तें स्वीकार है।

मैं बोलीदाता ........................................................ पुत्र श्री .................................................. बोली प्रपत्र की शर्तों के अनुसार माने गये पी.एफ., ई.एस.आई, श्रम विभाग का पंजीयन, पैन नम्बर, अनुभव प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां संलग्न कर रहा हूं।

साथ ही घोषणा करता हूं कि मेरे खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन/न्यायालय में कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा न ही मुझे पूर्व में राजस्थान सरकार के किसी विभाग/निगम, राइसेम द्वारा अनियमितता के कारण दण्डित/विवर्जित(Debar) किया हुआ है।

उपरोक्त दस्तावेज न प्रस्तुत करने पर एवं मेरे द्वारा की गई घोषणा गलत पाये जाने पर मेरी अमानत राशि राइसेम में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर**

**नाम** ........................................................

**स्थान** ........................

**दिनांक** .........................

# बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बोली संख्या .................... दिनांक .............................. के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा के अन्तर्गत एतद् घोषणा की जाती है कि :–

1. यह कि राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) को प्रस्तुत उक्त बोली से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यावसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
2. यह कि मैं/ हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
3. यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
4. यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये हैं।
5. यह कि मेरे/हमारे द्वारा बोली प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।
6. यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बोली शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : ..............................

स्थान : ..............................

**हस्ताक्षर बोलीदाता**

नाम..................................................

पद..................................................

पता..................................................

..................................................

मो0नं0..................................................

**राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)**
10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827 / 2710072

## राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में अनुबन्ध पर कार्मिकों की सेवाऐं (01.07.2025 से 30.06.2026 तक) उपलब्ध कराने के लिये ई–बोली की शर्तें

### ई–बोली सूचना

बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पालना किया जाना अनिवार्य है:–

1. बोलीदाता / संवेदक के पंजीयन आदि का विवरण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित बोलीदाता / संवेदक का होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज के साथ राइसेम को प्रस्तुत की जायेगी।
4. **संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करायी गई राशि का विवरण सम्बन्धित राइसेम को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करायी गई राशि के विवरण बाबत राइसेम की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।**
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर राइसेम द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. **संवेदक को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल / बिलों का भुगतान किया जायेगा।**
8. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने को दायित्व संवेदक का होगा।

10. **संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एंव सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एंव सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।**
11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।
12. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एव उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक को होगा।
14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपरी 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने को दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
16. बोली खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
17. **बोलीदाता को सेवा शुल्क संविदा कार्मिकों के देय मूल पारिश्रमिक पर देय होगा। पी.एफ., ई.एस. आई. एवं अतिरिक्त पारिश्रमिक की राशि कमीशन की गणना के लिए शामिल नहीं किया जावेगा।**
18. वित्तीय मुल्यांकन करने पर एक से अधिक बोलीदाता की, एल–01 बोली होने की स्थिति में उपापन संस्था द्वारा टर्नओवर एवं अनुभव के हिसाब से एल–01 बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
19. यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तावित दरें व्यावहारिक नहीं हैं जो कि प्रबंधन शुल्क/ओवरहैड शुल्क आदि व्यय को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है तो औचित्यपूर्ण विस्तृत दर प्रस्तुत करने के लिए एल–01 बोलीदाता को आमंत्रित किया जाएगा और यदि न्यूनतम बोलीदाता संतोषप्रद प्रस्ताव नहीं दे पाया तो सबसे कम बोली लगाने वाले को अस्वीकार किया जा सकता है। और अगले सबसे कम बोली लगाने वाले की घोषणा की जा सकती है।
20. बोलीदाता का सर्विस प्रतिशत पूर्णांक के रूप में दिया जाना आवश्यक है।
21. 01.07.2025 से 30.06.2026 तक की अवधि (अनुबन्ध तिथि से एक वर्ष तक) के लिये राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) को अनुबन्ध पर कार्मिकों की सेवायें लेने हेतु टू बोली पद्धति से (तकनीकी एवं वित्तीय) दो बन्द लिफाफों में हस्ताक्षर युक्त **दिनांक** 23.06.2025 को अपराह्न 01.00 बजे तक प्रस्तुत की जावेगी। (1) तकनीकी बोली प्रपत्र "अ" में तकनीकी

विवरण एवं (2) वित्तीय बोली प्रपत्र "ब" में दरें अंकित कर ऑनलाईन ईप्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से प्रस्तुत करनी होंगी।

22. बोलीदाता को बोली प्रतिभूति राशि के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 के अनुसार निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट, बैंकगारन्टी, नकद, बैंकर चैक, RTGS जो कि राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान जयपुर के नाम से देय हो, राइसेम के लेखानुभाग में जमा कराने होंगे।

23. सेवा एजेन्सी का वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक गत तीन वर्षों में औसत टर्नओवर 100 लाख रूपये वार्षिक होना आवश्यक है। उक्त के प्रमाणक हेतु उक्त वर्णित तीन वर्षों के अंकेक्षित अन्तिम खाते प्रस्तुत करने होंगे।

24. बोलीदाता को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र प्राप्त करने एवं इलेक्ट्रोनिक्स बिड में उक्त हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना डिजीटल हस्ताक्षर कोई भी बिड ऑफर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

25. बोली प्रपत्र में राइसेम द्वारा अनुबन्ध पर विभिन्न कार्यों हेतु पूर्णतया अस्थाई आधार पर बोलीदाता के माध्यम से अनुबन्ध पर लगाये जाने वाले कर्मचारियों/कामगारों को उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के विरूद्ध देय पारिश्रमिक राशि का बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर उसकी सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप सर्विस चार्ज की दर का उल्लेख अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। किसी प्रकार के ओवरराईटिंग पर सूक्ष्म हस्ताक्षर करना होगा। किसी संशय की स्थिति में शब्दों में लिखी राशि को ही मान्य किया जावेगा।

26. सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों की दक्षता का आंकलन करने का अधिकार राइसेम में निहित होगा।

27. बोलीदाता द्वारा राइसेम को समय–समय पर आवश्यकतानुसार पूर्णतः अस्थाई आधार एवं संविदा प्रथा पर बोलीदाता स्वयं की जिम्मेदारी एवं पूर्ण नियंत्रण पर कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे। राइसेम द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार ठेका प्रथा पर कर्मचारियों की संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है। बोलीदाता द्वारा वर्तमान में आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाए गए कार्मिक राइसेम को माहवार/प्रतिदिन राशि के भुगतान पर पूर्णतया अस्थाई आधार पर होंगे।

28. बोलीदाता के द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त देनदारियां/विधिक जिम्मेदारियां सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

29. बोलीदाता को सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सहकारी संस्थान में मंत्रालयिक/तकनीकी स्टॉफ उपलब्ध कराने अथवा संविदा प्रथा पर कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

30. बोलीदाता नाबालिग, दिवालिया घोषित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यदि बोली अवधि में ऐसा पाया गया तो बोली निरस्त कर दी जावेगी व 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

31. यदि कोई बोलीदाता बोली प्रपत्र में किसी तथ्य को छिपाता है और जो कि अनुबंध की अवधि के दौरान सामने आता है तो ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

32. सफल बोलीदाता को अनुबंध हस्ताक्षरित करने से पूर्व राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 75 के अनुसार 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में वांछित राशि राइसेम के पास जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धित ठेका सफलता पूर्वक समाप्ति पर तीन माह पश्चात निम्न शर्ते पूरी हो जाने के उपरांत चैक से लौटा दी जायेगी।

    अ. सभी संबंधित अनुभागों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

    ब. श्रमिक अधिनियमों के अंतर्गत भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा निगम में जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

स. कान्ट्रेन्ट लेबर अबोलिशन एक्ट के अधीन श्रमिकों के उपस्थिति, वेतन भुगतान भविष्य निधि योजना व जमा राशि इत्यादि की औपचारिकतायें पूरी किये जाने के संबंध में निर्धारित प्रपत्रों, पंजिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करने पर।

33. किसी भी अथवा सभी बोलीओं को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार उपापन संस्था में सुरक्षित रहेगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार कारण/स्पष्टीकरण मांगने का हक बोलीदाता को नहीं होगा।

34. चयनित बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा सुविधा मुहैया करने का दायित्व सम्बनिधत बोलीदाता का होगा। चयनित बोलीदाता को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का प्रत्येक 6 माह में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा।

35. सफल बोलीदाता और राइसेम के मध्य पूर्णतया अस्थाई आधार पर ठेका प्रथा पर कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु 500/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा जिसे दोनों पक्षों की सहमति से RTPP नियम के प्रावधानों के तहत बढाया जा सकेगा।

36. संविदा प्रथा पर कर्मचारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूर्णतया अस्थाई है और इसे किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकती है।

37. राइसेम को संविदा पर उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों की सेवाओं की एवज में तय की गई राशि पर नियोक्ता का भविष्य निधि अंशदान/ईएसआई के पेटे भुगतान होने वाली समस्त राशि राइसेम द्वारा वहन की जावेगी। राइसेम द्वारा सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रतिमाह निर्धारित देय राशि पर नियमानुसार सर्विस चार्ज एवं सर्विस टैक्स की राशि का भुगतान किया जावेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा पी.एफ. (नियोक्ता एवं नियोजित) के अंशदान, सर्विस टैक्स की राशि, इनकम टैक्स आदि जमा कराने की जिम्मेवारी बोलीदाता स्वयं की होगी।

38. प्रत्येक संविदाकर्मी को प्रत्येक कार्य दिवस में निर्धारित समय (प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक) प्राधिकृत अधिकारी/अनुभाग में अपनी उपस्थिति देनी होगी। प्रत्येक संविदाकर्मी को राइसेम में प्रचलित साप्ताहिक अवकाश भी देय होंगे परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन्हें साप्ताहिक अवकाश के दिन भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर संविदाकर्मियों को निर्धारित कार्यालय समय से पूर्व अथवा निर्धारित कार्यालय समय के पश्चात् भी रोका जा सकता है। इस अतिरिक्त ड्यटी के लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

39. कार्यस्थल पर संविदाकर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण बोलीदाता का रहेगा परंतु कार्य कुशलता एवं अनुशासन को बनाये रखने हेतु राइसेम द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन संविदाकर्मियों को करना होगा।

40. यदि बोलीदाता अथवा उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये संविदा कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया तो उसको नोटिस दिया जाकर एग्रीमेंट को निरस्त करने का अधिकार निदेशक, राइसेम के पास होगा।

41. **बोलीदाता द्वारा लगाये गये संविदाकर्मियों का शोषण नहीं हो और बोलीदाता उन्हें निर्धारित राशि अदा करें, यह सुनिश्चित करने हेतु एक फुलप्रूफ तरीका अपनाया जावेगा। अगले माह का भुगतान बोलीदाता को तभी किया जावे जब वह उसके मार्फत नियुक्त संविदाकर्मियों को भुगतान एवं उनके भविष्य निधि खाते में पिछले माह अंशदान के जमा होने का प्रमाण पत्र बोलीदाता द्वारा राइसेम को प्रस्तुत ना कर दिया जावे।**

42. **यदि बोलीदाता द्वारा स्वयं के नियोजित संविदाकर्मियों को संपूर्ण देय राशि से कम राशि का भुगतान करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जाकर उसे विवर्जित(Debar) किया जावेगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी**

43. संविदा पर राइसेम में संविदाकर्मियों को नियुक्ति देते समय बोलीदाता द्वारा उनका नाम व पता, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण प्रत्र एवं एक नवीनतम फोटोग्राफ आदि प्रस्तुत करने होंगे।

44. बोलीदाता द्वारा नियोजित संविदाकर्मियों को नाम, पते सम्बन्धित परिचय पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। ड्यूटी के दौरान संविदाकर्मियों को पहचान पत्र स्वयं के पास रखना होगा और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा।

45. **राइसेम में कार्यरत संविदाकर्मियों को राइसेम के संबंधित सक्षम अधिकारी के निर्देश का पालन करना होगा। राइसेम में कार्यरत संविदाकर्मियों के पदस्थापन सम्बन्धी बदलाव राइसेम की पूर्वानुमति से ही किया जा सकेगा।**

46. यदि किसी कारणवश अथवा आपात परिस्थितियों में अतिरिक्त संविदाकर्मियों की आवश्यकता तो बोलीदाता को मांग अनुसार तुरंत उपलब्ध कराने होंगे जिसके एवज में राइसेम द्वारा आनुपातिक अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

47. राइसेम मुख्यालय परिसर में कोई भी संविदाकर्मी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति / गेट पास के कोई भी सामान परिसर से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। संविदाकर्मियों की लापरवाही अथवा बदनियति से राइसेम के किसी भी सामान / उपकरण आदि की चोरी / नुकासन होने की स्थिति में बोलीदाता से राशि की बसूली की जावेगी।

48. **बोलीदाता को उसके द्वारा नियोजित संविदाकर्मियों की माहवार उपस्थिति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवा कर बिल के साथ प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रस्तुत करनी होगी। राइसेम द्वारा बिल का परीक्षण कर अतिशीघ्र भुगतान करने का प्रयास किया जावेगा। परंतु बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा नियोजित संविदाकर्मियों को अधिकतम 10 तारीख तक निश्चित रूप से पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जावे। किसी भी कार्मिक को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जावे।**

49. बोलीदाता द्वारा नियोजित संविदाकर्मी राइसेम के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी से अथवा राइसेम से संबंध रखने वाले किसी अन्य बोलीदाता / एजेन्सी से किसी तरह का व्यक्तिगत लेन–देन / संबंध नहीं रखेंगे।

50. संविदाकर्मियों द्वारा किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि होने की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी और वह यह सुनिश्चित करेगा कि आंदोलनकारी मुख्यालय परिसर में प्रवेश ना करने पावे और राइसेम की संपत्ति / कर्मचारी / अधिकारी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा पाये। बोलीदाता के कर्मचारियों द्वारा राइसेम की सम्पति अथवा राइसेम के कर्मचारियों / अधिकारियों का कोई नुकसान की भरपाई संवेदक द्वारा की जावेगी।

51. **बोलीदाता और राइसेम के मध्य किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में निदेशक, राइसेम का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।**

52. राइसेम द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उक्त संविदाकर्मी रखने की व्यवस्था का समाप्त किया जा सकता है परंतु ठेकेदार को इस बाबत कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा।

53. बोलीदाता द्वारा नियोजित संविदाकर्मी का आचरण एवं व्यवहार अच्छा होना चाहिए और बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अनुशासित रहकर अपनी ड्यूटी पूर्ण करें। यदि राइसेम द्वारा किसी संविदाकर्मी की शिकायत की जाती है तो बोलीदाता को उसे तुरंत प्रभाव से बदलना होगा। बोलीदाता के किसी कर्मचारी द्वारा राइसेम की सम्पति को कोई नुकसान पहुंचता है या बोलीदाता का कोई कर्मचारी अमानत में खयानत करता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी और उसे राइसेम को हुये नुकसान की भरपाई करनी होगी। राइसेम द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी समय संविदाकर्मियों की उपस्थिति / रेकार्ड का आकस्मिक निरीक्षण कर सके और उसमें आवश्यक बदलाव के दिशा–निर्देश दे सके। यदि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान निर्धारित संख्या से कम संविदाकर्मी पाये गये तो राइसेम द्वारा 200 /– रूपये प्रति संविदाकर्मी प्रति दिन की दर से ठेकेदार पर शास्ति आरोपित की जाकर ठेकेदार के बिल में से कटौती की जावेगी।

54. समस्त कर्मचारी बोलीदाता के ही कर्मचारी समझे जावेंगे, जिनके समस्त दायित्व बोलीदाता के ही होंगे।

55. श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट, सर्विस टैक्स (यदि लागू

हो) अधिनियम आदि के तहत बोलीदाता को सभी वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी। इससे सम्बन्धित समस्त रिकॉर्ड का संधारण बोलीदाता को करना होगा।

56. संविदा प्रथा पर कार्यरत कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम की संपूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने का संपूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

57. श्रम अधिनियम अथवा किसी अन्य कानूनी दायित्व के तहत किसी अन्य प्रकार का लाभ यदि दिया जाना हो, वह बोलीदाता द्वारा अनुबंधित संविदाकर्मियों को देना होगा। संविदाकर्मियों को किये गये भुगतान का पूर्ण रेकार्ड रखना होगा एवं मांगने पर राइसेम को प्रस्तुत करना होगा।

58. यदि संविदा अवधि के दौरान नियुक्त संविदाकर्मी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या किसी प्रकार चोट लग जाती है तो इसके लिए नियमानुसार जो भी भुगतान होगा उसकी समस्त जिम्मेवारी बोलीदाता की स्वयं की होगी।

59. श्रम विभाजन एवं अन्य कोई नियम, अधिनियम जो भी अनुबंधित संविदाकर्मियों के लिये लागू होगा, के अंतर्गत बोलीदाता को संपूर्ण रेकार्ड रखना होगा एवं मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

60. बोलीदाता के किसी भी कर्मचारी के द्वारा संविदा में अथवा उसके बाद यदि बकाया भुगतान अथवा रोजगार दिये जाने के संबंध कोई वाद अथवा विवाद किसी स्तर पर श्रम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में चलाया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। समुचित उत्तर/पैरवी व उसके निपटारे का पूर्ण दायित्व नियोक्ता ठेकेदार का होगा। संविदा समाप्ति उपरांत इण्डेमनिटी बाण्ड भी इस आशय का प्रस्तुत करना हेागा।

61. बोलीदाता द्वारा नियुक्त संविदाकर्मी संपूर्ण कार्य राइसेम द्वारा दिये गये मापदण्ड के अनुसार अथवा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार पूर्ण करेगा।

62. संविदा प्रथा पर कार्यरत कोई भी कर्मचारी यदि किसी भी कारणवश किसी कार्यदिवस को कार्यालय में उपस्थिति देने में असमर्थ रहे तो बोलीदाता को उसके बिल मे से आनुपातिक राशि काट कर भुगतान किया जावेगा और बोलीदाता को अनुपस्थित कर्मचारियों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

63. बोलीदाता को उसके द्वारा लगाये गये संविदाकर्मियों का उपस्थिति प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में बोलीदाता के बिल का भुगतान संभव नहीं होगा।

**64. सेवाप्रदाता द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को मानदेय का भुगतान, ईएसआई व पी.एफ की राशि की जमा रसीदें प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी माह के बिलों का भुगतान किया जावेगा।**

65. प्रस्तुत किये गये बिलों में वैधानिक कटौतियों तथा टी.डी.एस व अन्य नियमानुसार लागू करों की कटौतियां की जावेगी।

**66. सर्वप्रथम तकनीकी बोली को दिनांक 23.06.2025 को अपराह्न 3.00 बजे खोला जावेगा। तकनीकी बोली में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बोली को खोला जावेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद–विवाद मान्य नहीं होगा।**

67. विलम्ब से प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

68. बोलीदाता आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।

69. बोलीदाता द्वारा राइसेम को विलम्ब से आपूर्ति करने पर निम्नानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार राइसेम प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी:–

| | |
|---|---|
| **(क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए,** | **2.5 %** |
| **(ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए,** | **5 %** |
| **(ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए,** | **7.5 %** |

(घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए, 10 %

70. फर्म को पंजीकृत प्रमाण–पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान/कम्पनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा।
71. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
72. दरें सभी प्रकार के कर सहित एवं जीएसटी अतिरिक्त देनी होगी।
73. बोली से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबन्ध के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी, उपाध्यक्ष (रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर) राइसेम एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी अध्यक्ष (प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता) राइसेम, जयपुर में निहित है।
74. राइसेम के राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 में दर्शाये गये नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।
75. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
76. बोली सक्षम बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रस्तुत की जावेगी।
77. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।
78. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्य सभी संगत प्रावधान लागू होंगे।
79. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी संगत आदेश यथावत लागू होंगे।

हमने उक्त बोली शर्तें पूर्ण रूप से पढ ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

एस.आर प्रारूप – 11

## बोलीदाताओं की घोषणा

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सहपहृत का किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता के मय मोहर

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)
10-बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827/2710072 फैक्स नं. 91-0141-2710072

**प्रपत्र-'ब'**

## (कार्मिकों हेतु वित्तीय बोली)

## (01-07-2025 से 30-06-2026 तक)

| क्र.सं. | सेवा का नाम | श्रमिकों की श्रेणी | श्रमिकों की संख्या | श्रमिकों को देय राशि | EPF पर प्रतिशत | ESI पर प्रतिशत | कुल राशि | सेवा प्रदाता का सर्विस प्रतिशत | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | संस्थान में अनुबन्ध पर कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने हेतु | कम्प्यूटर प्रोगामर | 1 | 33750 | नियमानुसार देय | नियमानुसार देय | 38138.00 | | |
| 2 | | कम्प्यूटर ऑपरेटर | 7 | 22500 | | | 25425.00 | | |
| 3 | | क्लर्क | 1 | 22500 | | | 25425.00 | | |
| 4 | | लाइब्रेरियन | 1 | 22500 | | | 25425.00 | | |
| 5 | | बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता/ बागवान/ सहायक कर्मचारी | 15 | 15000 | | | 17438.00 | | |
| 6 | | वाहन चालक | 1 | 18750 | | | 21797.00 | | |
| | कुल | | 26 | | | | | | |

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 8 तक की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही बोली दस्तावेज में अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेंगी)

नोटः- निविदादाता वित्तीय निविदा में अपनी दरें राजस्थान सरकार के पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर BOQ Format में ही Submit करें।